### (TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

#### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

#### Notification No. 91/2020 - State Tax

Dated: 9th December 2021

No. F.3(139)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/ 396 - In exercise of the powers conferred by section 168A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No. 35/2020- State Tax, dated the 24th March, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3(84)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/288, dated the 24th March, 2021, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in the proviso to clause (i),

- (i) for the words, figures and letters "29th day of November, 2020", the words, figures and letters " $30^{th}$  day of March, 2021" shall be substituted.
- (ii) for the words, figures and letters "30th day of November, 2020", the words, figures and letters "31st day of March, 2021" shall be substituted
- 2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of December, 2020.

By order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> (Ravinder Kumar) Dy. Secretary I (Finance)

# No. F.3(139)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/396

Dated: the 9th December 2021

The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi

Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi

- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

10. Guard File.

11. Website.

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary I (Finance)

Note: The principal notification No. 35/2020- State Tax, dated the 24<sup>th</sup> March, 2021 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *vide* No. F.3(84)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/288, dated the 24<sup>th</sup> March, 2021 and was last amended by notification No. 65/2020 – State Tax, dated the 29<sup>th</sup> November, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *vide* No. F.3(137)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/349, dated the 29<sup>th</sup> November 2021.

# (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

#### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय–I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

दिनांकः 09 दिसम्बर, 2021

# अधिसूचना संख्या 91/2020-राज्य कर

सं०फा० 03(139) / वित्त (व्यय—I) / 2021-22 / डीएस—I / 396 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 168 क के साथ पिठत एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (व्यय—IV) की अधिसूचना सं. 35/2020—राज्य कर, तारीख 24 मार्च, 2021 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग—IV में संख्यांक सं०फा० 03(84) / वित्त (व्यय—IV) / 2020—21 / डीएस— IV / 288, तारीख 24 मार्च, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद के खंड (i) के परंतुक में,-

- (i) "नवंबर, 2020 के 29वें" अंक और शब्द के स्थान पर "मार्च, 2021 के 30वें" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) "नवंबर, 2020 के 30वें" अंक ं और शब्द के स्थान पर "मार्च, 2021 के 31वें" अंक और शब्द रखे जाएंगे।
- 2. इस अधिसूचना को दिसंबर, 2020 के पहले दिन से लागू माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> ( रविन्द्र कुमार ) उप सचिव—I (वित्त)

सं0फा0 03(139)/वित्त (व्यय- I)/2021-22/डीएस- I/*396* 

दिनांकः 09 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग — चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई ्दिल्ली।
- 11 वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

( रविन्द्र कुमार ) उप सचिव—I (वित्त)

नोट : मूल अधिसूचना सं. 35/2020-राज्य कर, तारीख 24 मार्च, 2021 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग—IV में संख्यांक सं0फा0 03(84)/वित्त (व्यय—IV)/2020—21/डीएस— IV/288, तारीख 24 मार्च, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग—IV में संख्यांक सं0फा0 03(137)/वित्त (व्यय—I)/2021—22/डीएस— I/349, तारीख 29 नवम्बर 2021के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 65/2020—राज्य कर, तारीख 29 नवम्बर 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।